ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176209 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत सहौडा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती किरण वाला	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.2021 से 06.09.2021
2	श्री मोहिन्द्र सिंह	07.09.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती अर्चना कुमारी	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री दवेन्द्र कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:–

ग्राम पंचायत सहौडा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.10
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	21.28
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.02
4	8.1	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान	0.96
5	8.2	अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान करना।	0.11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सहौडा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है।

अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क.स.	पैरा स.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2.	4	निर्णीत	पुष्टि उपरान्त
3.	5 5.1,5.2	अनिर्णीत	–
4	5.3	अनिर्णीत	–
5	6	अनिर्णीत	–
6	7	अनिर्णीत	–
7	8	निर्णीत	जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा के कार्यालय में ग्राम पंचायतों के पैरा समायोजन के विशेष अभियान के दौरान निर्णीत।
8	9	अनिर्णीत	–
9	10	अनिर्णीत	–
10	11	अनिर्णीत	–
11	12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
12	13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
13	14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत सहौडा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2024 से 19.01.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया।

आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	02/2022	07/2021
2022–23	03/2023	05/2022

अस्वीकरणः–वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/– आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/–36 दिनांक 19.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 **(क).वित्तीय स्थितिः–**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2023/–27 दिनांकः 16.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	206645.00	582813.00	789458.00	683979.00	105479.00
2022-23	105479.00	479938.59	585417.59	160787.00	424630.59

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तषेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	1534429.00	5227758.23	6762187.23	3928659.00	2833528.23
2022-23	2833528.23	8803439.19	11636967.42	9508557.59	2128409.83

कुल योग (1+2) 424630.59+2128409.83 **=2553040.42**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति से **₹25,53,040.42/-** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹25,62,648.42** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगड़ा	1159104000057594	434238.59
2	पांचवा वित्त	का•के•सह•बैंक काँगड़ा	2033022777	255192.83
3	वी.के.वी.एन.वाई	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगड़ा	1159104000052359	0
4	14वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी•बैंक काँगड़ा	50100246638131	0
5	15वाँ वित्तायोग	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगड़ा	1150104000055550	1873217
6	हस्तगत शेष			0

बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–	**₹2562648.42**
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–	₹2553040.42
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–	₹2562648.42
अन्तरः–	**9608**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही शेषों का बैंक खातो के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.10 लाख का अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹9608/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/34 दिनांकः–17.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02 दिनांक 19.01.2024 द्वारा दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रतिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एंव रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव

उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹206645 से ₹434238.59 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/35 दिनांकः 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19.01.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹21.28 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–27 दिनांक 16.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹21,28,409.83/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	5वाँ वित्तायोग	31.03.2023	255192.83
2	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	1873217
		कुल जोड	**2128409.83**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमो के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेंखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.02 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि०प्र० पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2024/–27 दिनांकः 16/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पति कर/गृहकर की मद में ₹2050/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2024/35 दिनांकः 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह

पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2021–22	3600
2	2022–23	5850
	जोड़	9450

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/35 दिनांकः 18/01/2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत सहौडा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप अनियमित भुगतान के कारण सरकारी कोष को ₹0.96 लाख की राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"4" पर संलग्न चुनिदा वाउचरो के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹96486/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/35 दिनांक: 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–02 दिनांक 19/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्तिबिलो से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की नियमानुसार देय राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.11 लाख का भुगतान करना।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	12/ 17.05.2022	मै अंशु गोपाल सहौडा	शटरिंग	11610 (90m2@129)	22140 (90m2@246)	10530

उपरोक्त बिल/वाउचर की निविदाओं (निविदाओं की छायाप्रति को रफ सीट में संलग्न किया गया है) में अनुमोदित दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹10530/– का अधिक भुगतान किया गया था। उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–35 दिनांकः 18/01/2024 के अन्तर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि संबंधित फर्म/संविदाकार से वसूली कर ली जायेगी तथा संबंधित अनुदान में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान इन निविदाओं के आधार पर कृत ऐसे अन्य भुगतानों की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच कर तदानुसार अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किए गए समस्त अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्ति की जाए तथा संबंधित शीर्ष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.3 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹27.91 लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹ 2791507/—(चयनित माह 07/21 में ₹726805 + माह 05/2022 में ₹2064702) का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है। जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/35 दिनांकः 18/01/2024 के अंतगर्त सचिव, ग्राम पंचायत सहौडा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19.01.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः— उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के कुल व्यय से संबंधित है।

9 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा अवधि 2022–23 के अनुदान 15वां वित्त व नरेगा इत्यादि में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निमार्ण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहौडा द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

इन अनियमितत्ताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/35 दिनांक: 18.01.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सहौडा को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना:-

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/27 दिनांकः 16.01.2024 के कमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19/01/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप-5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103

9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितत्ता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/–27 दिनांकः 16.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02 दिनांक 19/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

30 MAR 2024

1752– 1756

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)6/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत सहौड़ा, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

FINANCIAL POSITION OF GP SAHOUR

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECE DURING
2021-22	206645.00	58281
2022-23	105479.00	47993

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEI DURING
2021-22	1534429.00	522775
2022-23	2833528.23	880343

(परिशिष्ट "7" पैरा संख्या "7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत सहौड़ा, विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176209

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 800 तथा 2022-23 में 780 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 4,000.00	800	₹ 50.00	₹ 40,000.00	₹ 44,000.00	₹ 40,300.00	₹ 3,700.00
2022-23	₹ 3,700.00	780	₹ 50.00	₹ 39,000.00	₹ 42,700.00	₹ 40,650.00	₹ 2,050.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 2050/-** है।						

Panchayat Secretary,
Gram Panchayat, SAHAURA
Dev. Block Kangra (H.P.)

परिशिष्ट– 4

ग्राम पंचायत सहौड़ा खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या–"84" के सन्दर्भ में)

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cft)	Qty. (cum)	Determining	Qty. (in MT.)	Royality (Per	Due Royality
1.OWN SOURCE									
M/s Anshu Gopal General Supplier Sahoura	10/07.10.21	003/13.09.21	Sand	200	6.0	1.62	9.72	80	777.60
			Bajri	350	10.0	1.52	15.2	80	1216.00
								Total	1993.60
2.15TH FC									
do	02/09.05.22	35/21.03.22	Sand	0.0	3.30	1.62	5.34	80	427.20
			Bajri	0.0	3.20	1.52	4.86	80	388.80
			Stone	0.0	4.96	2.24	11.11	80	888.80
do	04/11.05.22	37/22.03.22	Sand	180.0	5.00	1.62	8.1	80	648.00
			Bajri	360.0	10.00	1.52	15.20	80	1216.00
do	05/11.05.22	38/22.03.22	Sand	270.0	8.00	1.62	12.96	80	1036.80
			Bajri	250.0	7.00	1.52	10.64	80	851.20
			Stone	0.0	11.30	2.24	25.31	80	2024.80
do	07/11.05.22	42/02.04.22	Sand	350.0	10.00	1.62	16.20	80	1296.00
			Bajri	700.0	20.00	1.52	30.40	80	2432.00
			Stone	0.0	4.00	2.24	8.96	80	716.80
								Total	11926.40
3.MNREGA									
do	12/17.05.22	25/18.12.21	Sand	300.0	8.00	1.62	12.96	80	1036.80
			Bajri	600.0	17.00	1.52	25.84	80	2067.20
			Stone	0.0	15.00	2.24	33.60	80	2688.00
do	19/21.05.22	22/25.10.21	Sand	490.0	14.00	1.62	22.68	80	1814.40
			Bajri	950.00	27.00	1.52	41.04	80	3283.20
do	24/21.05.22	09/14.09.21	Sand	500.0	14.00	1.62	22.68	80	1814.40
			Bajri	1000.0	28.00	1.52	42.56	80	3404.80
do	25/21.05.22	10/15.09.21	Sand	550.0	16.00	1.62	25.92	80	2073.60
			Bajri	1100.0	31.00	1.52	47.12	80	3769.60
do	28/21.05.22	14/18.09.21	Sand	550.0	16.00	1.62	25.92	80	2073.60
			Bajri	1050.0	30.00	1.52	45.60	80	3648.00
do	23/21.05.22	12/15.09.21	Sand	600.0	17.00	1.62	27.54	80	2203.20
			Bajri	1250.0	36.00	1.52	54.72	80	4377.60
do	26/21.05.22	13/18.09.21	Sand	550.0	16.00	1.62	25.92	80	2073.60
			Bajri	1050.0	30.00	1.52	45.60	80	3648.00
do	17/01.05.22	21/18.10.21	Sand	500.0	14.00	1.62	22.68	80	1814.40
			Bajri	1000.0	28.00	1.52	42.56	80	3404.80
do	15/21.05.22	28/25.12.21	Sand	500.0	14.00	1.62	22.68	80	1814.40
			Bajri	1000.0	28.00	1.52	42.56	80	3404.80
do	21/21.05.22	27/25.12.21	Sand	450.0	13.00	1.62	21.06	80	1684.80
			Bajri	900.0	25.00	1.52	38.00	80	3040.00
do	30/21.05.22	07/18.09.21	Sand	600.0	17.00	1.62	27.54	80	2203.20
			Bajri	1200.0	34.00	1.52	51.68	80	4134.40
			Stone	0.0	10.00	2.24	22.40	80	1792.00
								Total	63268.80
						(1+2+3)		**Total**	77188.80
								25% Penalty	19297.2
								G.Total	**96486.00**

ANNEXURE -1 पैरा संख्या 4.1(05)

FINANCIAL POSITION OF GP SAHOURA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	206645.00	582813.00	789458.00	683979.00	105479.00
2022-23	105479.00	479938.59	585417.59	160787.00	424630.59

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1534429.00	5227758.23	6762187.23	3928659.00	2833528.23
2022-23	2833528.23	8803439.19	11636967.42	9508557.59	2128409.83

Panchayat Secretary

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या – 6.1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SAHOURA FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5THSTATE	2021-22	474485.00	860413.23	1334898.23	502588.00	832310.23
		2022-23	832310.23	961006.60	1793316.83	1538124.00	255192.83
2	VKVNY	2021-22	70089.00	40870.00	110959.00	110834.00	125.00
		2022-23	125.00	4.00	129.00	129.00	0.00
3	14TH FC	2021-22	361078.00	5452.00	366530.00	366530.00	0.00
		2022-23	0.00	389.59	389.59	389.59	0.00
4	15TH FC	2021-22	628777.00	1660134.00	2288911.00	287818.00	2001093.00
		2022-23	2001093.00	2557409.00	4558502.00	2685285.00	1873217.00
5	MNREGA	2021-22	0.00	2660889.00	2660889.00	2660889.00	0.00
		2022-23	0.00	5284630.00	5284630.00	5284630.00	0.00